

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा आज्ञा-पत्र

बेगम

उनवान

बनाम

हसन अली

किस्म मुकदमा

धारा-223

मि.नं.


295/2016

सन

अभिभाषक अपीलान्त

वार्ड: रुस. भटनागर

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06-09-23	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्त अनुपस्थित। अपीलान्त व अभिभाषक अपीलान्त को रूक रूक कर तीन बार आवार्जे लगवाई गई फिर भी अपीलान्त व अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित नहीं हुये। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली पैसल शमार होकर बाद तामील तबमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>(दीप्ति प्रमचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	

डीएच
श्री केशव प्रभाकर प्रसाद
पेशा जी/बाद जॉर्ज रिफ्रीड डोर
पेशा जी

(भागवती जेठवानी)
सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०) 10-8-16



न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा कोम्प बार

बेगम पति राबिर जाति फकीर आयु साल निवासी काबलखेड़ी तहसील
छबड़ा जिला बारां राज०

वनाम

- 1- हसन अली पुत्र गफूर शाह जाति फकीर निवासी वार्ड नंबर 19 छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां ---रेरफो/वादी
- 2- जोहरा बेगम पति नोशेर जाति फकीर निवासी वार्ड नंबर 18 छबड़ा राज० सरदार जय तहसील बारां छबड़ा ---रेरफो/प्रतिवादी क्रम 3

प्रमाण बनाएशुअमी निर्णय एवं प्रा० दिनांक
21/5/2016 न्यायालय उच्च-जिला न्यायालय
छबड़ा कोम्प बारई का कदमे दाद अंतर्गत
धारा 53,188 राज० टी० एक्ट प्रकरण क्रमांक
76/13

मान्यवर,

अपीलान्त प्रतिवादी की ओर से निम्न आभारों पर अपील प्रस्तुत

यह कि निर्णय एवं शिर्षी अधिकार न्यायालय दिनांक 21/5/2016 को कि राजस्व अभिमान कंभ कर्ई मे लिया गया है सर्वथा गलत निधि तथा निकाओं के विपरीत तथ्यों से जमानत एवं सकिल मे सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनाग है

(Handwritten signature)